UPAL010060272026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

प्रभारी अधिकारी–प्रतिभा सक्सैना

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2750/2026

तुफैल पुत्र अययूब निवासी– मौ0 मौलाना आजाद नगर हाल पता वहीद नगर, थाना क्वार्सी, जिला–अलीगढ़।

................अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....वादी/विपक्षी

जमानत आदेश

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **तुफैल द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–366/2026 धारा–191(2),191(3),190,109(1),115(2),352,351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम थाना क्वार्सी, जिला अलीगढ़** के मामले में जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 30.04.2026 को समय करीब रात 09.00 बजे वादी मौहम्मद फैजान व उसका भाई समीर अपने दोस्त बिलाल के छोटे भाई अदनान के साथ नगला पटवारी के कब्रिस्तान पर गये थे चूंकि अदनान ने बताया था कि उसके साथ कारखाने में काम करने वाले अयान के साथ कहा सुनी हो गयी है, जब यह लोग अयान के साथ बातचीत कर रहे थे और मामला निपट रहा था तभी अयान के साथी बाबू उर्फ समीर पुत्र कमालुद्दीन, अरमान पुत्र कमालुद्दीन, अर्श पुत्र अनीस, जावेद पुत्र रफीक, फैजान पुत्र यामीन, साहिल पुत्र अकबर, अकील पुत्र अफसर, समीर पुत्र शकील, समीम पुत्र साबुद्दीन, ताजुल पुत्र नसीर, **तुफैल पुत्र अयूब** व चार–पॉच अन्य अज्ञात लोग वहॉ आ गये और गाली–गलौंज करने लगे। जब वादी व उसके साथियों ने कहा कि गाली–गलौंज क्यों कर रहे हो मामला सुलह गया है तभी अयान के साथी बाबू उर्फ समीर पुत्र कमालुद्दीन ने कहा कि साले तुम्हे अभी पंचायत कराते है। तुमने मेरे साथी अयान के साथ मारपीट की है और यह कहते हुए कि साले आज किसी को जिन्दा नही छोडेंगे सभी ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से बाबू उर्फ समीर ने फायरिंग करते हुए वादी के सिर में तमन्चे की बट मारी तथा अर्श पुत्र अनीस ने जान से मारने की नितय से वादी के भाई समीर के गोली मार दी। गोली वादी के भाई के पेट में लगी है। वादी और उसका भाई समीर वहीं जमीन पर गिर गये और काफी अन्य लोग चिल्लाते हुए भागे तभी यह सब लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इनके अन्य साथियों ने भी फायरिंग की है। वादी व उसके भाई को कुछ लोगों ने जे.एन. मेडिकल कॉलेज में लाकर भर्ती कराया। वादी को ईलाज के बाद डॉक्टरों ने छोड दिया है तथा वादी के भाई का

इलाज चल रहा है, जिसकी हालत गम्भीर है।

3– अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसको वादी मुकदमा द्वारा रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त का उपरोक्त घटना से कोई सम्बन्ध व वास्ता नही है। अभियुक्त घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नही था। अभियुक्त सह अभियुक्तगण को जानता पहचानता भी नही है। अभियुक्त को तंमचे की वट से मारते पीटते व फायरिंग करते किसी ने नही देखा है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त का प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई विशिष्ट रोल नही है। अभियुक्त के कब्जे से अपराध सम्बन्धित कोई वस्तु बरामद नही हुअई है बल्कि पुलिस ने कारगुजारी दिखाने के लिए थाने से फर्जी बरामदगी दिखाई है। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक–01.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।

4– जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने गम्भीर अपराध कारित किया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5– जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा प्रस्तुत केस डायरी व प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

6- प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त तहरीर में नामित अभियुक्त है। तहरीर के अनुसार दिनांक 30.04.2026 को समय रात्रि करीब 09:00 बजे वादी मुकदमा और उसका भाई समीर अपने दोस्त बिलाल के छोटे भाई अदनान के साथ कब्रिस्तान पर गये थे तभी अयान के साथ बातचीत करने के दौरान अभियुक्त व अन्य सह-अभियुक्तगण ने मौके पर आकर गाली-गलौंच करना शुरू कर दी, मना करने पर सभी ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से बाबू उर्फ समीर ने फायरिंग करते हुए वादी के सिर में तमन्चे की बट मारी तथा अर्श पुत्र अनीश ने जान से मारने की नियत से वादी के भाई समीर के गोली मार दी, गोली वादी के भाई के पेट में लगी और वह वहीं जमीन पर गिर गया। वादी मुकदमा द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त चुटैल मौहम्मद समीर, चक्षुदर्शी गवाह समीर करार व मौहम्मद उमैर द्वारा भी बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में घटना का समर्थन किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में चुटैल समीर को एक चोट "Gunshot 01x01cm of entry wound oval shaped present on the left side of abdomen" आना दर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा/चुटैल फैजान की कोई आघात आख्या पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका होने का कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 01.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आधार जमानत पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **तुफैल** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–366/2026 धारा–191(2), 191(3),190,109(1),115(2),352,351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम थाना क्वार्सी, जिला अलीगढ़ के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०**-50,000/-**रूपये **(**पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक-12.06.2026

प्रभारी अधिकारी
ID No.-UP-6223
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

आशुलिपिक- ऋषभ सिंह